रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2015/वैशाख 18, 1937
No. 296] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2015 /VAISAKHA 18, 1937

## कृषि मंत्रालय

### (कृषि और सहकारिता विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2015

**सा.का.नि. 371(अ).—**राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (विधि अधिकारी), भर्ती नियम, 1995 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में विधि अधिकारी, समूह "क" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, विधि अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. लागू होना-** ये नियम पद विनिर्दिष्ट के लिए लागू होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट है ।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड **वेतन** या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**5. निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| विधि अधिकारी | 01* (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैन्ड-3 15600-39100 रुपए ग्रेड वेतन 5400 रुपये सहित | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति; क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित | प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. ग्रेड वेतन 4800/-रु. सहित या समतुल्य और नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की नियमित सेवा मूल संवर्ग में की है; या<br>(iii) मूल काडर या विभाग में, वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4600/-रु. सहित या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की नियमित सेवा की है;<br><br>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों-<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री<br>(ii) केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारी विभाग या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में आवश्यक वस्तु अधिनियम या उर्वरक नियंत्रण आदेशों का कार्य करने सहित विधिक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण – 1** अन्य अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br>**टिप्पण – 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण – 3** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण – 4:-** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

[फा. सं. 5-12/2009-आईएनएम]

भैरव दत, अवर सचिव (आईएनएम)

**MINISTRY OF AGRICULTURE**

**(Department of Agriculture and Cooperation)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, 8th May, 2015

**G.S.R. 371(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Law Officer) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Group 'A' post of Law Officer in the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, under the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, namely :—

1. **Short title and commencement .--** (1) These rules may be called the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Law Officer (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. –** These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.--** Number of the posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with orders issued by Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay/Pay Scale | Whether selection or non-selection post | Age limit for Direct Recruits | Educational and other qualification required for Direct Recruits | Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Law Officer | 01* (2015) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial | Pay Band-3 Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/- | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation /absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| By deputation including short-term contract | Deputation (Including Short Term Contract)<br>Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertaking or Semi Government or Autonomous or Statutory Bodies:<br><br>(a)(i) Holding analogous post on regular basis, or<br>(ii)with two years' regular service in posts in the Pay Band-2 Rs.9300-34800, with Grade Pay Rs.4800 or equivalent after appointment thereto in the parent cadre or department; or<br><br>(iii)With three years' regular service in posts in the Pay Band-2 Rs.9300-34800 with Grade Pay Rs.4600 or equivalent and after appointment thereto in the parent cadre or department:<br>(b) Possessing the following educational qualifications and experience:<br>(i) Degree in Law from a recognized University.<br>(ii) Three years' experience of handling legal work including the work relating to handling of Essential Commodities Act or fertiliser control orders in Central or State or Union Territory Government Department or recognised research institutions or universities or public sector undertaking or semi-government or autonomous or statutory organisations.<br><br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service | Not applicable. | Consultation with UPSC necessary. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.<br><br>**Note 2**: Period of deputation (Including Short Term Contract) including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>.<br>**Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.<br><br>**Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation | | |

[F. No. 5-12/2009-INM]

BHERAV DUTT, Under Secy. (INM)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 मई, 2015

**सा.का.नि. 372(अ).—**राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह "क" और समूह "ख" पदों), भर्ती नियम, 1979, जिनका संबंध प्रशासनिक अधिकारी के पद से है और केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (समूह "ग" और समूह "घ" पद), भर्ती नियम, 1977, जिनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में समूह "क" पद प्रशासनिक अधिकारी और समूह "ख" पद कार्यालय अधीक्षक पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, प्रशासनिक अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक (समूह 'क' और "ख" पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. लागू होना. —**ये नियम पद विशेष के लिए लागू होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट है ।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड **वेतन** या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5**

**. निरर्हताः** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्तिः** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. प्रशासनिक अधिकारी | 01* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' क ', राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैन्ड-3 15600-39100 रुपए ग्रेड वेतन 5400 रुपये सहित | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति; क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा | **प्रोन्नति**<br><br>वेतन बैन्ड-2, (रु. 9300-34800) रुपए और ग्रेड वेतन 4200 रुपये सहित ऐसा कार्यालय अधीक्षक जिसने, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान/ क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना और लेखा क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।<br><br>**टिप्पण 1** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**टिप्पण 2** – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या | **समूह 'क'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : —<br><br>1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/ सदस्य — अध्यक्ष<br><br>2. संयुक्त सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य<br><br>3. उप सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग — सदस्य<br><br>4. निदेशक (केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान) —सदस्य<br><br>**समूह 'क'** विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए :-<br><br>1. संयुक्त सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन) - अध्यक्ष<br><br>2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।<br>**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :-**<br>i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी निकायों या अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी -<br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या<br>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु. सहित नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ; या<br>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में, वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4200/-रु. सहित या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो;<br>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्विवद्यालय या संस्थान से डिग्री<br>(ग) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी निकायों में प्रशासन, स्थापना और लेखा क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव ।<br>**टिप्पण – 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण – 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण – 3** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण – 4:-** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक | - सदस्य<br>3. उप सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग<br>– सदस्य<br>4. निदेशक (केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान), फरीदाबाद<br>– सदस्य | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | संविदा सहित) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. कार्यालय अधीक्षक | 06* (2015)<br>* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख ', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैन्ड-2<br>9300-34800 रुपए ग्रेड वेतन 4200 रुपये सहित | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|
| प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | 50 % प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा<br>50 % अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा | **प्रोन्नति**<br>वेतन बैन्ड-1, 5200-20,200 रुपए और ग्रेड वेतन 2400 रूपये सहित अवर श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना और लेखा क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।<br>**टिप्पण 1** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के | **समूह 'ख'** विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति :-<br>1. निदेशक, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान - अध्यक्ष<br>2. उप सचिव (आईएनएम), कृषि और सहकारिता विभाग – सदस्य<br>3. संयुक्त/उप निदेशक, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य | प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**टिप्पण 2** – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।<br>**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :-**<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी निकायों या अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी -<br>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड -1, 5200-20,200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. सहित सदृश पद या दस वर्ष की नियमित सेवा की हों; और मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के पश्चात प्रशासनिक और लेखा क्षेत्र में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव रखते हों ,<br>**टिप्पण – 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त (अल्पकालिक संविदा सहित) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण – 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण – 3** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण – 4:-** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या | 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

[फाइल सं. 5-12/2009-आईएनएम]

भैरव दत, अवर सचिव (आईएनएम)

**NOTIFICATION**

New Delhi, 8th May, 2015

**G.S.R. 372(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Fertiliser Control Laboratory, Faridabad (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Administrative Officer and Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1977, in so far as they relate to the post of Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Group 'A' post of Administrative Officer and Group 'B' post of Office Superintendent in the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, under the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, namely :-

**1. Short title and commencement .--** (1) These rules may be called the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Administrative Officer and Office Superintendent (Group 'A' & 'B' posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application. –** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale. --** Number of the posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of aforesaid Schedule.

**5. Disqualification**.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

**6. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with orders issued by Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay / Pay Scale. | Whether selection post or non-selection post | Age limit for Direct Recruits | Educational and other qualification required for Direct Recruits | Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1.Administrative Officer | 1* (2015) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial | Pay Band-3 Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/- | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years for promotees |

| Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation /absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| By promotion failing which by deputation including short-term contract | Promotion<br>Office Superintendent in Central Fertiliser Quality Control & Training Institute/Regional Fertiliser Control Laboratory with eight years' regular service in the Pay Band-2.(Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200 and have successfully completed 2 to 4 weeks training in the field of Administration, Establishment and Accounts.<br>**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.<br>Deputation (Including Short Term Contract)<br>i) Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory | **Group A**<br>**Departmental Promotion Committee (for considering promotion)**<br>i) Chairman/Member of Union Public Service Commission - Chairman<br>ii) Joint Secretary, (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture and Cooperation - Member<br>iii) Deputy Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture and Cooperation - Member<br>(iv) Director (Central Fertilizer Quality Control and Training Institute) - Member<br><br>**Group 'A' Departmental Confirmation Committee:-**<br><br>i) Joint Secretary (Integrated Nutrient Management)- Chairman<br>ii) Joint Secretary (Administration)- Member<br>(iii) Deputy Secretary (Integrated Nutrient Management, Department of Agriculture and Cooperation - Member<br>iv) Director (Central Fertiliser Quality Control & Training Institute) - Member<br>Faridabad | Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bodies or Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings;<br><br>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or<br><br>(ii) With three years regular service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 (Rs.9300-34800), with Grade Pay Rs.4600/-; or<br><br>(iii) With eight years' regular service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, (Rs.9300-34800), with Grade Pay Rs.4200 or equivalent in the parent cadre or department and having:<br>(b)Degree of a recognised University or Institute.<br>(c) Three years' experience in administration, establishment and accounts matters in a Government Office or Public Sector Undertakings or Autonomous body or Statutory body.<br>**Note1**: The departmental officers in feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (Including Short Term Contract). Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note2**: Period of deputation (Including Short Term Contract) including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>.<br>**Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.<br><br>**Note 4**: For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Office Superintendent | *06 (2015) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial | Pay Band-2 Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/- | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years for promotees |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|
| 50% by promotion failing which by deputation including short-term contract, 50% by deputation including short-term contract. | **Promotion**:<br>From amongst the UDCs, Pay Band-1, Rs.5200-20200/- with Grade Pay Rs.2400/-of the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, having 10 years of regular service in the grade and have successfully completed 2 to 4 weeks training in the field of Administration, Establishment and Accounts.<br><br>**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.<br><br>**Deputation (Including Short Term Contract)**<br>Officers under the Central Government or State Government or Union Territories Administration or Autonomous or Statutory Bodies or Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings:<br>(i) Officers holding analogous posts or with 10 years' regular service in the Pay Band-1 Rs.5200-20200/- with Grade Pay | **Group 'B' Departmental Promotion and Confirmation Committee:**<br>1. Director, Central Fertilizer Quality Control & Training Institute- **Chairman**<br><br>2. Deputy Secretary (INM), Department of Agriculture & Coop. - **Member**<br><br>3. Joint/ Deputy Director, Central Fertilizer Quality Control & Training Institute/. **Member**<br><br>**4.** Administrative Officer, Central Fertilizer Quality Control & Training Institute- **Member** | Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on deputation (ISTC). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Rs.2400/-and after appointment thereto in the parent cadre or department and having minimum four years' experience in administration and accounts.<br><br>**Note1**: The departmental officers in feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (Including Short Term Contract). Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note2**: Period of deputation (Including Short Term Contract) including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>.<br>**Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.<br><br>**Note 4**: For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation | | |

[F. No. 5-12/2009-INM]

BHERAV DUTT, Under Secy. (INM)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.